संघ लोक सेवा अयोग, नई दिल्ली

विषय - साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण/मौखिक परीक्षा बुद्धि आदि के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों के यात्रा-व्यय में आयोग के अंशदान से सम्बद्ध टिप्पणी

संघ लोक सेवा आयोग साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को यात्रा या अन्य व्यय नहीं देता है पर वह उसमें निम्नलिखित सीमा तक अंशदान देता है-

(क) रेलयात्रा के संबंध में किसी उम्मीदवार के यात्रा व्यय में आयोग के अंशदान के रूप में उम्मीदवार के सामान्य निवास स्थल से या जहां से वह वस्तुतः रेल यात्रा करता है उस स्थल से इनमें जो भी साक्षात्कार स्थल से अधिक नजदीक हो-निकटतम रेल स्टेशन से निकटतम मार्ग द्वारा साक्षात्कार स्थल तक और उसी स्टेशन तक वापसी के लिए केवल एक व्यक्ति का द्वितीय श्रेणी (डाक) का रेल किराया या वस्तुतः दिया गया रेल किराया, जो भी कम हो, मिलेगा। जो उम्मीदवार शायिका की सुविधा का लाभ उठाते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी के रेल किराये के साथ-साथ शायिका पर होने वाले व्यय की भी प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी। भारत में जो स्थान रेल द्वारा न जुड़ा हो ओर जहां यात्रा स्टीमर द्वारा की जाती हो वहां से की गई समुद्र यात्रा के लिए अंशदान की दर भोजन का खर्च निकाल कर केवल एक व्यक्ति के द्वितीय श्रेणी के स्टीमर के किराये तक सीमित रहेगी। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से साक्षात्कार हेतु बुलाये गये उम्मीदवारों के मामले में उनके स्टीमर के खर्चे मे आयोग का अंशदान "केवल बंक क्लास" के किराये तक सीमित रहेगा। भारत के बाहर से आने वाले उम्मीदवारों के मामले में भारत संघ की सीमा में की गई यात्रा के लिए देय यात्रा भत्ता की मात्रा तक ही आयोग का अंशदान सीमित रहेगा।

(ख) जो उम्मीदवार ऐसी जगह रहता है जहां कोई स्टेशन न हो उस सड़क द्वारा की गई यात्रा के अंश के लिए 8 पैसे प्रति कि.मी. के हिसाब से सड़क मील भत्ता या सड़क यात्रा के लिए अदा की गई वास्तविक रकम का, जो भी कम हो, भुगतान किया जायेगा। सड़क मील भत्ता निकटतम रेलवे या स्टीमर स्टेशन तक और से या उपमंडल या तहसील मुख्यालय से निकटतम रेलवे या स्टीमर स्टेशन तक और वापसी के लिए की गई सड़क यात्रा-जो भी फासला कम हो-के आधार पर दिया जायेगा।

(ग) रेल कर्मचारियों को समुचित रेल प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण-प्रत्र प्रस्तुत करने पर कि उन्हें इस यात्रा के लिए मुफ्त पास/पी.टी.ओ. नहीं दिया गया था, उतना हीे अंशदान अदा किया आयेगा जो अन्य उम्मीदवारों को देय हैं। यदि वे साक्षात्कार हेतु आने के लिए प्रिविलेज पास का उपयोग करते हैं तो यह अंशदान अदा नहीं किया जायेगा।

(घ) यदि रेल कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारी पी.टी.ओ. का उपयोग करते हैं तो उन्हें पी.टी.ओ. पर खर्च हुई रकम दे दी जायेगी जो अधिक से अधिक निकटतम मार्ग का द्वितीय श्रेणी के रेल किराये की रकम या उम्मीदवार द्वारा वस्तुतः रेल किराये पर खर्च की गई रकम-जो भी कम हो-के बराबर होगी।

(ड.) दिल्ली में साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आदि के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को निम्नलिखित परिस्थितियों में 30 रुपये प्रतिदिन की दर पर प्रवास भत्ता दिया जायेगाः-

(1) जब कोई उम्मीदवार किसी तारीख को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए किन्तु प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उसका साक्षात्कार उस दिन न हो पाये और उसके शीघ्र बाद किसी अन्य तारीख को उसका साक्षात्कार हो;

(2) जब आयोग द्वारा कोई उम्मीदवार अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग तारीख को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए और उनके बीच का समय इतना कम हो कि इस बीच में उम्मीदवार का वापस जाकर फिर आना संभव न हो और;

टिप्पणी - इस खंड के अन्तर्गत आयोग द्वारा किसी ऐसे उम्मीदवार को भी प्रवास भत्ता प्रदान किया जा सकता है जो आयोग के अलावा किसी अन्य संगठन द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाया गया हो और जिसको उसके सामान्य निवास स्थल से साक्षात्कार स्थल तक की तथा वापसी यात्रा के लिये उस संगठन द्वारा यात्रा भत्ता दे दिया गया हो (किन्तु उस अवधि के लिए प्रवास भत्ता नहीं दिया गया हो) और वह आयोग के साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए साक्षात्कार स्थल पर रुका रहता है बशर्ते कि यदि पहला साक्षात्कार भी किसी अन्य संगठन के बजाय आयोग द्वारा होकर लिया जाता तो उसको उक्त पैरा के अधीन आयोग द्वारा यह प्रवास भत्ता देय हो जाता।

(3) जब लिखित/प्रायोगिक परीक्षा के बाद जिस तारीख को उम्मीदवार का साक्षात्कार किया जाता हो। जिस तारीख (जिन तारीखों) को कोई साक्षात्कार या लिखित परीक्षण किया जाता है उसके लिए कोई प्रवास-भत्ता नहीं दिया जायेगा। प्रवास-भत्ता का भुगतान इस शर्त पर होगा कि आने और जाने की यात्रा हेतु यात्रा-भत्ता में किया जाने वाला अंशदान तथा प्रवास भत्ता आने-जाने के लिए की गई दो अलग यात्राओं हेतु किये जाने वाले यात्रा भत्ता अंशदान से अधिक किफायती हो।

(च) जहां उम्मीदवारों को रेल व सड़क टिकट मिलते हों वही हमेशा उन्हें यात्रा हेतु प्रयोग में लाना चाहिए। जहां-जहां ऐसे टिकट मिलते हों वहां आयोग रेल व सड़क टिकटों की लागत तक ही अंशदान करेगी।

(छ) जब रेल द्वारा यात्रा उस समय की जाए जब रियायती वापसी टिकट मिल सकती हों तो उक्त यात्रा हेतु आयोग का अंशदान हमेशा उन रियायती वापसी टिकटों की लागत तक ही सीमित रहेगा।

(ज) जब किसी अन्य रियायत का लाभ उठाया गया हो तो उम्मीदवार को रेल किराये पर खर्च हुई रकम का भुगतान किया जायेगा जो अधिक से अधिक सबसे छोटे रास्ते का द्वितीय श्रेणी का रेल का किराया या उसके द्वारा रेल किराये पर खर्च की गई वास्तविक रकम-जो भी कम हो - होगी।

(झ) जब कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित सामान्य निवास स्थल के अलावा अन्य किसी स्थल में साक्षात्कार स्थल तक अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और साक्षात्कार स्थल से वह स्थल उसके सामान्य निवास स्थल से अधिक दूर हो और यदि उम्मीदवार किसी निजी सेवा में हो तो अपने नियोक्ता से और यदि सरकारी सेवा में हो तो अपने कार्याल्यध्यक्ष से उसको इस आशय का प्रमाण-पत्र अपने साथ लाना चाहिए कि उसने साक्षात्कार हेतु उस स्थल से वस्तुतः यात्रा की थी यदि वह सेवारत नहीं है तो उसके सामान्य निवास स्थल से कोई परिवर्तन केवल तभी स्वीकार्य होगा जब अपने परिवर्तित पते की सूचना उसने आयोग को साक्षात्कार की तारीख से पहले दे दी हो।

टिप्पणी 1 - जहां उम्मीदवार अनंतिम हो उन मामलों को छोड़कर साक्षात्कार हेतु आने वाले उम्मीदवारों को यात्रा-भत्ता में आयोग के अंशदान का भुगतान नकद रूप में तत्काल कर दिया जायेगा। अतः उम्मीदवारों को चाहिए कि जब वे साक्षात्कार हेतु आयें तभी अपने आने और जाने की यात्रा का विवरण संलग्न यात्रा भत्ता प्रपत्र में विधिवत भर कर उसे अपने साथ लेते आयें।

टिप्पणी 2 - आयोग द्वारा उम्मीदवारों के भोजन और आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, NEW DELHI

Subject-Note regarding payment of the Commission's contribution towards travelling expenses of candidates summoned for interview/Personality Test/Viva Voce/Intelligence Tests etc.

The Union Public Service Commission do not defray the travelling or other expenses of candidates summoned for interview. They how ever, contribute towards those expenses to the extent mentioned below:-

(a) In respect of journeys by rail, payment of the Commission's contribution towards the travelling expenses of a candidate shall be restricted to a single Second Class (Mail) railway fare by the shortest route to the place of interview from the railway station nearest to the candidate's normal place of residence or from which he actually performs the rail journey, which is nearer to the place of interview, and back to the same station or the amount of railway fare actually incurred, whichever is less. In addition to Second Class railway fare, sleeper charges shall be reimbursed to the candidates who avail of the sleeper facility, in respect of journey by sea from and to any place in India which is not connected by rail and where the mode of travel is by steamer, the rate of contribution will be restricted to a single Second Class steamer fare exclusive of the diet charges. In the case of candidates who are called for interview from Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep, the Commission's contribution towards their steamer charges will be restricted to "Bunk Class" fare only. In the case of a candidate who comes from outside India, the Commission's contribution towards T.A. will be restricted to that admissible for journeys performed within the limits of the Indian Union.

(b) A candidate who resides at a place where there is no railway station shall, for the portion of road journey, performed by him, be paid road mileage at the rate of 8 Paise per Kilometre or the actual amount paid for the road journey, whichever is less. The road mileage will be based on the road journey performed to and from the nearest railway or steamer station, or from the sub-division or Tehsil Headquarters, to the nearest railway or steamer station and back, whichever distance is shorter.

(c) Railway servant will be paid the same contribution as are admissible to other candidates on producing a certificate from the appropriate railway authority to the effect that they were not provided with free passes/P.T.O.'s to cover the journey. No such contribution will be paid if they use a privilege pass for the purpose of coming for interview.

(d) If railway servants or other Central Government servants use a Privilege Tickets Order they will be paid the amount spent on the Privilege Ticket Order subject to a maximum of the Second Class railway fare by the shortest route or the amount of railway fare actually incurred by the candidates whichever is less.

(e) Halting allowance at the rate of Rs.30.00 per day shall be granted to candidates summoned for interview/personality tests etc. at Delhi in the following circumstances:-

(i) Where a candidate is invited for interview on a particular date, but is not interviewed on that date due to administrative difficulties and is interviewed on another date soon thereafter;

(ii) Where candidate is called for interview by the Commission for different posts on two different dates, the interval between these dates being so short that the candidate cannot be expected to go back and come again; and

Note - Halting allowance under the clause may also be granted by the Commission to a candidate who is called for an interview by any Organization, other than the Commission and is paid T.A. by that Organization for his journey from his normal place of residence to the place of interview and back (but not halting allowance for the same period) and who continues to stay at the place of interview to attend interview of the Commission provided that such halting allowance would have been payable by the Commission under the sub-para had the earlier interview also been arranged by the Commission instead of by any other organization.

(iii) Where a candidate is required to take a written practical test followed by interview on a subsequent date.

No halting allowances shall be admissible for the particular date(s) on which an interview or a written test is held. The payment of halting allowance shall be subject to the condition that the contribution towards travelling allowance for the journey to and from plus the halting allowance is more economical than the payment of T.A. contribution for two separate journeys to and fro.

(f) In all cases where Rail-cum-Road Tickets are available candidates should utilize them for their journey. The Commission's contribution in such cases will be limited to the cost of rail-cum-road tickets, wherever such tickets are available.

(g) In all cases where journey is performed by Railways at a time when concessional return tickets are available the Commission contribution for the journey by Rail shall be limited to the cost of such return tickets.

(h) In case any other concession is used, the candidates will be paid the amount spent on rail fare subject to a maximum of Second Class railway fare by the shortest route or the amount of Railway fare actually incurred by him, whichever is less.

(i) Where a candidate commences his journey to the place of interview from a place other than one mentioned as the normal place of residence in his application and this place is more distant from the place of interview than the normal place of residence, he should bring with him, in case he is employed a certificate from his employer in the case of private employment and from the Head of the Office in the case of employment under Government, to the effect that he actually performed the journey from the place for the purpose of the interview. In case he is not employed, any change in the normal place of residence would be recognized only if he had informed the Commission of the change in his address prior to the date of interview.

Note 1- The Commission's contribution towards the travelling expenses will be paid in cash on the spot when the candidates come for interview, except where the candidature is provisional, Candidates are therefore, required to bring with them the enclosed T.A. Forms duly filled in with particulars of onward and return journey when they come for interview.

Note 2 - The Commission do not make arrangements for boarding and lodging of the candidates.

(मूल प्रति)(Original)

(अनुलिपि सहित)(Duplicate)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

संघ लोक सेवा आयोग से यात्रा भते के अंशदान की मांग प्रस्तुत करने के लिए फार्म

Form for claiming TA contribution for the Union Public Service Commission

साक्षात्कार का स्थान / Place of Interview .... साक्षात्कार की तारीख / Date of Interview .... पद का नाम / Name of Post ....

नाम व पता Name and address (In Block Letters)	रेल से संबद्ध स्थानों के बीच रेल या दूसरे साधनों द्वारा की गई यात्रा का विवरण Particulars of Journey by Rail or other means between Station connected by Rail							
	निर्गम Departure		आगमन Arrival		गाड़ी का नाम Name of the train	श्रेणी जिसमें यात्रा की गई (स्लीपर व्यय और अधिभार, यदि कोई हो तो उसका उल्लेख अलग से करें) Class in which Travelled (Sleeper charges and surcharges, if any, should be indicated separately)	वास्तव में दिया गया रेल या बस का किराया Rail/Bus fare actually paid	
	स्थान Station	तिथि Date	स्थान Station	तिथि Date				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	आगे की यात्रा/Onward Journey						रु./Rs.	पै./P.
	वापसी यात्रा/Return Journey							
						कुल/Total		

जो रेल से संबद्ध नहीं है उनके बीच यात्रा का विवरण

Particulars of Journey between Station not connected by Rail

सामान्य निवास स्थान से निकटतम रेल (या स्टीमर) स्टेशन की दूरी और उसका नाम।

Distance from normal place of residence to the nearest Railway/Steamer Station and its Name..

सामान्य निवास स्थान जिस उप-मण्डल/तहसील में स्थित है उसका नाम और उसके मुख्यालय का नाम

Name of the Sub-Div. /Tehsil in which the normal place of residence is situated and its H.Q..

यदि उप-मण्डल या तहसील के मुख्यालय में कोई रेल (या स्टीमर) स्टेशन न हो तो मुख्यालय के निकटतम रेल (या स्टीमर) स्टेशन की दूरी और उसका नाम

If the Sub-Div. or Tehsil H.Q. has not a Railway/Steamer Station, give the distance from H.Q. to the nearest Railway Station and name ....

अग्रिम रसीद

PRE-RECEIPT

नोटः अगर रकम 5000.00 रुपये से अधिक हो तो 1 रु का टिकट लगाना जरूरी है

Note: Revenue Stamp of Re.1 to be affixed If the amount is more than Rs.5000.00

रकम प्राप्त की

Received the payment

कुल जोड़

Grand Total

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

Signature of Candidate

अनुक्रमांक/Roll No.................................. सं.लो.से.आ.-68

U.P.S.C.-68

प्रामाणित किया जाता है किः-

1. कालम 7 मे दावा किए गए रु................मैंने वास्तव में साक्षात्कार के स्थान तक यात्रा के लिए रेल/सड़क/हवाई जहाज के किराये पर व्यय किए और वापसी यात्रा के लिए दावा किए गए रु............. वापसी यात्रा के किराये के रूप में ही मेरे द्वारा व्यय किए जाएंगे।

Certified that:-

Rs.......... claimed in col.7 were actually spent by me on rail/road/air fare for performing journey up to the place of interview and Rs........... claimed for the return journey will be spent by me on fare for return journey.

2. इस यात्रा के लिए किसी दूसरे स्त्रोत से कोई यात्रा भत्ता या यात्रा बिल का कोई अंशदान नहीं मांगा गया।

No TA or any other contribution towards TA in respect of this journey has been claimed from any other source.

3. इस यात्रा के लिए कोई रियायती वापसी टिकट नहीं मिला।

No concessional return ticket was available.

4. मैं रेल कर्मचारी हूँ/नहीं हूँ।

I am/am not a railway servant.

5. सं. लो. से. आ. द्वारा मेरा पिछला साक्षात्कार दिनांक .... को किया गया था।

I was previously interviewed by U.P.S.C. on ....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

Signature of Candidate

(केवल कार्यालय के इस्तेमाल के लिए)
(FOR OFFICE USE ONLY)

<table>
<tr>
<td>
प्रमाणित किया जाता है कि:-
Certified that :-
1. उम्मीदवार ने यात्रा भत्ता अंशदान का दावा सही स्थान से किया है।
The candidate has claimed TA contribution from the right place.
2. सड़क-मील भत्ता नियमानुसार दिया गया है।
The road mileage allowance has been allowed in accordance with the rules.

रुपए
Passed for Rs. ....

(Rupees ....)
के लिए स्वीकृत

लेखा अधिकारी
संघ लोक सेवा आयोग
Accounts Officer,
Union Public Service Commission
</td>
<td>
भुगतान कर ....
(रुपए ....)
....
Pay Rs. ....
(Rs. ....)
....

लेखा अधिकारी
संघ लोक सेवा आयोग
Accounts Officer,
Union Public Service Commission
</td>
</tr>
</table>

रु. .... प्राप्त किए

(रुपए ....

....

....)

Received Rs. ....

(Rupees ....

....)